मसूरी झील पार्किगं, प्रवेश शुल्क, बोट संचालन शुल्क, कैन्टीन एवं फोटोग्राफी ठेका नीलामी

नीलामी शर्ते/नियम

क–सामान्य शर्ते :–

1– यह कि मसूरी झील, पार्किगं, प्रवेश शुल्क, बोट संचालन शुल्क, कैन्टीन एवं फोटोग्राफी नीलामी ठेका दिनॉक 01–09–2019 से 31–08–2020 तक 01 वर्ष के लिए टू–विड सिस्टम निविदा के माध्यम से नीलाम किया जायेगा।

2– यह कि अहस्तान्तरणीय निविदा प्रपत्र का क्रय दिनॉक 22–08–2019 से 26–08–2019 तक किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10:00 बजे से सॉय 5:00 बजे तक निर्धारित शुल्क रू0 8,000.00+ जी0एस0टी0 की धनराशि पालिका निधि में जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।

3– यह कि निविदादाता को तकनीकी विड एवं वित्तीय विड सीलबन्द 02 अलग–अलग लिफाफो में डालकर दोनो विड एक बडे लिफाफे में सीलबन्द कर निविदा बॉक्स में नियत दिनॉक 29–08–2019 समय प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक डालना आवश्यक होगा, जिस लिफाफे में तकनीकी विड या वित्तीय विड रखी गयी है उन लिफाफो के ऊपर तकनीकी एवं वित्तीय विड लिखना अनिवार्य होगा।

4– यह कि फर्म की स्थिति मे फर्म का पंजीकरण एवं पार्टनरशीप डीड तथा पावर ऑफ अर्टानी की स्वःप्रमाणित प्रति देनी होगी।

5– यह कि टू–विड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) की निविदाओ में किसी प्रकार की कटिगं एवं ओवर राइटिगं मान्य नही होगी।

6– यह कि तकनीकी विड में संलग्न सभी दस्तावेज आदि की छायाप्रतियॉ स्वःप्रमाणित करनी आवश्यक होगी।

7– यह कि टू–विड की शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ में निविदादाता अथवा फर्म/कम्पनी के प्रोपराईटर को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।

8– यह कि सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

9– यह कि टू–बिड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) की निविदाये, निविदा समिति द्वारा निविदादाता व उनके अधिकृत प्रतिनिधियो की उपस्थिति में नियत तिथि एवं समय पर खोली जायेगी।

10– यह कि निविदा समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी विड खोली जायेगी, तकनीकी विड में संलग्न दस्तावेजो की जॉच/परीक्षण के उपरान्त तकनीकी विड में सफल निविदादाताओ की वित्तीय विड उसी दिन खोली जा सकती है या अन्य किसी दिन खोलने हेतु तिथि व समय नियत की जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
मसूरी

11– यह कि तकनीकी विड में असफल निविदादाता/फर्मो/कम्पनियों की वित्तीय विड सील बन्द रखी जायेगी तथा उसे खोला नही जायेगा।

12– यह कि वित्तीय विड यदि किसी अन्य दिन खोलने हेतु तिथि व समय नियत किया जाता है तो उसकी सूचना तकनीकी विड में सफल निविदादाता/फर्मो/कम्पनियों को लिखित में दी जायेगी। वित्तीय विड निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियो की उपस्थिति में खोली जायेगी।

13– यह कि टू–विड सिस्टम में प्राप्त एक या समस्त निविदाओ को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

14– यह कि मसूरी झील, पार्किगं, प्रवेश शुल्क, बोट संचालन शुल्क, कैन्टीन एवं फोटोग्राफी ठेका नीलामी के लिए पालिका द्वारा सरकारी अनुमानित लागत रू0 90.00 लाख प्रतिवर्ष होगी। सुरक्षित सरकारी लागत से कम दर की निविदाये मान्य नही होगी।

<u>ख–तकनीकी विड की शर्ते :–</u>

1– यह कि मसूरी झील, पार्किगं, प्रवेश शुल्क, बोट संचालन शुल्क, कैन्टीन एवं फोटोग्राफी आदि ठेका हेतु रू0 08.00 लाख जमानत धनराशि की एफ0डी0आर (राष्ट्रीयकृत बैक) से अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मसूरी के पदनाम से बंधक कर निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व जमा करनी होगी, निविदा प्रपत्र उसी व्यक्ति/फर्म को दिया जायेगा जो जमानत की धनराशि की एफ0डी0आर0 प्रस्तुत करेगें।

2– यह कि जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षरो से निर्गत कम से कम रू0 50.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र देना होगा, जो 06 माह से पूर्व का ना हो।

3– यह कि जिलाधिकारी अथवा उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षरो से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जिसकी अवधि जारी होने की तिथि से 06 माह हो प्रस्तुत कराना होगा।

4– यह कि पार्किगं, बोट संचालन अथवा कैन्टीन आदि सम्बन्धी ठेका चलाने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5– यह कि नगरपालिका परिषद मसूरी की किसी भी देयक का बकायेदार न होने सम्बन्धी अदेयता प्रमाण पत्र देना होगा।

6– यह कि निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड (फोटोयुक्त आई0डी0) सहित प्रस्तुत करना होगा।

7– यह कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड एवं वाणिज्य कर विभाग का जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा।

8– यह कि विगत 03 वर्षो के आयकर रिटर्न देने होगें।

9– यह कि विगत 03 वर्षो में कम से कम रू0 1.00 करोड का टर्न ओवर एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट देनी होगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

9– यह कि विगत 03 वर्षो में कम से कम रू0 1.00 करोड का टर्न ओवर एवं सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्सशीट देनी होगी।

10– यह कि रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि उनके द्वारा तकनीकी विड के साथ संलग्न किये गये सभी प्रमाण पत्र/विवरण सही है और तथ्यो को छिपाया नही गया है।

11– यह कि रू0 100/– के स्टाम्प पेपर में रू0 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि निविदादाता अथवा फर्म किसी भी सरकारी एवं अर्द्वसरकारी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नही है।

ग–नियम :–

1– यह कि सक्षम अधिकारी द्वारा उच्चतम निविदा स्वीकृत होने के पश्चात उच्चतम निविदा लागत का 1/2 भाग अथवा 50 प्रतिशत की धनराशि स्वीकृति पत्र जारी किये जाने की तिथि से 03 दिन के अन्दर पालिका कोष में नगद, बैक ड्राफ्ट अथवा आर0टी0जी0एस0 से जमा करनी होगी।

2– यह कि उच्चतम निविदा लागत की धनराशि जमा करने की तिथि को निबन्धक विभाग के शासनादेश के अनुसार उच्चतम लागत की धनराशि पर निर्धारित स्टाम्प पेपर एवं 02 फोटोग्राफ प्रस्तुत कर अनुबन्ध करना होगा।

3– यह कि अनुबन्ध होने के पश्चात कार्यादेश मिलने के बाद ही मसूरी झील, पार्किगं, प्रवेश शुल्क, बोट संचालन शुल्क, कैन्टीन एवं फोटोग्राफी का अधिकार होगा।

4– यह कि उच्चतम निविदा लागत की अवशेष 1/2 धनराशि अथवा 50 प्रतिशत क्रमशः दिनॉक 31–01–2020 तक 25 प्रतिशत एवं दिनॉक 30–06–2020 तक शेष 25% धनराशि पालिका कोष में नगद, बैक ड्राफ्ट अथवा आर0टी0जी0एस0 से जमा करनी होगी यदि नियत तिथि तक उपरोक्तानुसार धनराशि जमा नही होती है तो बकाश शेष धनराशि पर मासिक 12.5 % विलम्ब शुल्क सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को देना होगा।

5– यह कि यदि अनुबन्ध के अनुसार नियत तिथि तक ठेकेदार/फर्म द्वारा निर्धारित किस्त की धनराशि मय ब्याज सहित जमा नही की जाती है तो ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से मसूरी झील संचालन का ठेका/लाईसेन्स निरस्त करते हुए जमानत की धनराशि जब्त कर बकाया धनराशि भू–राजस्व के रूप में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र पालिका द्वारा जारी कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी की होगी।

6– यह कि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समस्त कर जैसे आयकर, जी0एस0टी0 एवं मनोरजंन कर का भुगतान नियमानुसार स्वयं करना होगा, जिसका विवरण समय–समय पर पालिका को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

7– यह कि नगरपालिका बोर्ड बैठक दिनॉक 31–05–2011 में पारित प्रस्ताव सं0–1799 द्वारा मसूरी झील, पार्किगं, प्रवेश शुल्क, बोट संचालन शुल्क, कैन्टीन एवं फोटोग्राफी आदि हेतु निर्धारित अनुस्वीकृत निम्नलिखित दरो के अनुसार शुल्क वसूली की जायेगी।

क्र0सं0	मद	शुल्क दर	अभ्युक्ति
1	झील प्रवेश शुल्क	10.00	प्रति व्यक्ति
2	बोटिगं शुल्क (4 सीट वाली बोट)	60.00	प्रति बोट
3	बोटिगं शुल्क (6 सीट वाली बोट)	60.00	प्रति बोट
4	पार्किगं स्कूटर/दुपहिया वाहन	10.00	प्रति वाहन
5	पार्किगं हल्का वाहन (कार आदि)	15.00	प्रति वाहन

8– यह कि मसूरी झील की कैन्टीन, पार्किगं एवं झील परिसर में लगी हुई सभी लाईटो का रख–रखाव सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा किया जायेगा तथा पानी और बिजली बिल का भुगतान भी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को करना होगा।

9– यह कि मसूरी झील पर उपलब्ध बोटे जैसी है जहॉ है के आधार पर उचित रख–रखाव /मरम्मत का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने व्यय पर करनी होगी।

10– यह कि मसूरी झील पर लगी समस्त सामग्री एवं उपकरणो अथवा परिसम्पत्तियों को सुचारू हालत में रखने एवं देख–रेख की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी की होगी।

11– यह कि मसूरी झील एवं परिसर की सफाई नियमित रूप से करने एवं एकत्रित कूडे का निस्तारण सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा करना होगा।

12– यह कि झील परिसर में किसी भी प्रकार का धुम्रपान एवं मद्यनिषेध वर्जित होगा।

13– यह कि मसूरी झील से सम्बन्धित शुल्क की दरो में सभी कर सम्मिलित है।

14– यह कि मसूरी झील से सम्बन्धित विद्युत बिलो एवं अन्य खर्चो का भुगतान ठेकेदार/ फर्म/कम्पनी को स्वयं करना होगा।

15– यह कि मसूरी झील में अधिकतम 10 नावे संचालित होगी इसके अतिरिक्त कोई अतिरिक्त बोट संचालित करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा तथा बोटिगं दो व्यक्ति 15 मिनट के लिए निर्धारित शुल्क के टिकट पर करेगें जिसकी वसूली का अधिकार सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को होगा।

16– यह कि नगरपालिका परिषद मसूरी के वर्तमान निर्वाचित बोर्ड/अधिकारियो/कर्मचारियो तथा विशिष्टि आगंतुको के लिए मसूरी झील प्रवेश शुल्क और पार्किगं शुल्क आदि निःशुल्क होगा।

17– यह कि मसूरी झील कैन्टीन के खाद्यय पदार्थो की सूची मुल्य सहित बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करनी होगी तथा कैन्टीन में उच्च कोटि के गुणवत्ता की खाद्य सामग्री का उपयोग एवं वितरण करना होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

18– यह कि मसूरी झील से सम्बन्धित सुविधाओ एवं पर्यटको से लिये जाने वाले शुल्क का निरीक्षण नगरपालिका के अधिकृत एवं सक्षम अधिकारियो द्वारा समय–समय पर किया जायेगा और किसी प्रकार की कमी और त्रुटि होने पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा करना होगा।

19– यह कि प्रत्येक बोट में अधिकतम दो व्यक्तियो के साथ दो शिशु नौकाविहार कर सकेगें तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे अकेले नौकाविहार नही करेगें और पॉच वर्ष से कम आयु पर कोई टिकट नही लगेगा।

20– यह कि मसूरी झील के प्रवेश शुल्क से पॉच वर्ष से कम आयु के बच्चे पर कोई शुल्क देय नही होगा।

21– यह कि यदि मसूरी झील से सम्बन्धित शुल्क वसूली निर्धारित धनराशि से अधिक होने की शिकायत मिलने पर जॉचोपरान्त शिकायत की पुष्टि होने पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी के विरूद्व कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा पालिका द्वारा ठेका भी निरस्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

22– यह कि मसूरी झील परिसर में आने–जाने वाले वाहनो/पर्यटको की निगरानी अथवा डाटा रखने हेतु उत्तम क्वालिटी के सी0सी0 टी0वी0 कैमरे एवं डिस्पले मोनिटर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को लगाना होगा।

23– यह कि बाढ एवं वर्षा/दैवीय आपदा से यदि किसी प्रकार की दुर्घटना, हानि या जनहानि के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी की होगी तथा इस हेतु क्षतिपूर्ति आदि का भुगतान भी ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा वहन करना होगा।

24– यह कि मसूरी झील से सम्बन्धित नियुक्त स्टाफ को फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं सभी कर्मियो को नीली/हरी पोशाक की यूनीफोर्म में वसूली का कार्य करना अनिवार्य होगा।

25– यह कि भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा तथा समस्त करो का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

26– यह कि जमानत की धनराशि रू0 08.00 लाख की एफ0डी0आर0 ठेका की अवधि समाप्त होने के उपरान्त सक्षम अधिकारी के आदेश पर बन्धक मुक्त/वापिस की जायेगी।

27– यह कि उपरोक्त किसी भी शर्त/नियम का उल्लघंन होने पर मसूरी झील का ठेका रद्द करने का अधिकार नगरपालिका परिषद मसूरी को होगा।

28– यह कि किसी भी वाद विवाद के लिए न्याय क्षेत्र जनपद–देहरादून होगा।

Gnesh

निविदादाता का नाम.....................

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, मसूरी
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
मसूरी